Regd. No. 9442, ESTD. 1954

DIAL : 45-4120

FORWARD SEAMEN'S UNION OF INDIA (CITU)

14/1F, WATGUNJ STREET, CALCUTTA-700023

MASS OF HAPLESS INDIA'S SEAMEN ARE AGAIN ON THE PATH OF CONTINUOUS STRIKE WORLDWIDE

Dear friends and comrades,

The employment position in the shipping industry continues to be dismal. Between 1975 and 1982, vacancies at Bombay Port have been reduced by almost a half ; in Calcutta the vacancies are no more than a third of what they used to be. The most disquieting thing is neither the body of shipowners nor the government seems to appreciate the urgency of the situation, let alone finding way to tackle it. In fact, the standard explanation offered is "global recession", as if that would satisfy the seamen's hunger.

On the auspicious occasion of National Maritime Day on 5 April this year, the Union Minister of Shipping & Transport announced, in response to the appeal by shipowners, a whole package of concessions like rescheduling of loan re-payments, tax holiday for off-shore repairing units etc. The question is who needed help more-the Scindias and the Aminchand-Pyarelals or the starving seamen ? What happened to the nine-point charter of demands submitted by the Forward Seamen's Union of India (CITU) more than a year ago ? Why is nothing being heard of the retention allowance recommened by the Retired Admiral S. M. Nanda Committee ?

A blatant anomaly to which the FSUI (CITU) has been trying since a long decade to draw the attention of the Government of India in regard to the distribution of jobs amongst the mass of India's seamen particularly from two major recruiting ports in India-Bombay and Calcutta A peculiar policy is in vogue in this Shipping industry which is nothing but discriminatory and the same is needed to be changed immediately.

The FSUI (CITU) organised the historic 72-hour shipping strike in November last year. It also led a sit-in in front of the Prime Minister's residence on 30 March this year. As usual, there were promises galore from Ministers but nothing positive has come yet. The FSUI (CITU) is convinced that unless the seamen offer resistence, they cannot foil the offensive of the shipping barons against their livelihood. It gives the call for what is likely to be a long-drawn and bitter struggle. The battle on such a scale can never be fought until there is a broad enough base and unity. The FSUI (CITU) has decided that in order to achieve this unity it would appeal to all sections of seamen, Port-Dock and allied Waterfront workers to raise the slogan : "Employment for at least 10 months of the year or retention allowance".

The coming months are going to be very crucial The FSUI (CITU) appeals to all friends and comrades to get them all prepared for continuous strike once again to achieve their following long outstanding demands :—

(I) Abolition of Casual System of Employment and 10 months of guaranteed employment within a year for Indian seamen ; (2) Unemployment Allowance from "Sign-Off" to "Sign-On" at the rate of Rs. 700/- per month ; (3) Minimum basic wage of 184/- Sterling Pounds, as laid down by I. L. O. ; (4) Abolition of Duel Medical Examination and resumption of Family Medical Assistance ; (5) Tonnage-wise Manning Scales ; (6) Abolition of all anti-seamen provisions in the Merchant Shipping Acts ; (7) Recognition of Unions through secret ballot ; (8) Introduction of Annual increments and 20% Bonus for all to avoid discrimination ; (9) Nationalisation of the Shipping Industry to avoid corruption and huge national wastages.

Dated, Vithalbhai Patel House,
New Delhi-110001
the 21st August, 1983.

(**M. A. SAYEED,** M. L. A.)
PRESIDENT

(**ASHUTOSH BANERJEE**)
GENERAL SECRETARY

अखिल भारतीय

वस्त्रोद्योग कामगार परिषद

— प्रतिनिधी —

१ एप्रिल १९९०

पोद्दार कॉलेज,

मुंबई.

" काम करने वालों को वोट दो "

साथियो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बिरला मिल में वर्कस कमेटी व फन्ड ट्रस्टीयों के चुनाव दिनांक 30-6-82 को होने जा रहे है। आपने अपना वोट बहुत सोच विचार कर देना है। जिस युनियन ने आपके यहाँ पिछले वर्षों में कार्य किया है आपको उन्ही के सदस्यों को वोट देकर जिताना है।

बिरला मिल में दो वर्ष पहले के हालात :

दो वर्ष पहले बिरला मिल में मजदुर साथियों की हालत बहुत खराब थी, जैसे :—

1. मज़दूर साथियों से खाने के समय भी काम कराया जाता था।
2. कमजोर मजदूर साथियों को धक्के मार कर मिल से बाहर निकाल दिया जाता था।
3. मजदूर साथियों को गन्दी-२ गालो दी जाती थीं और काम पर लगाने का रिशवत ली जाती थी।
4. मजदूर साथी बहुत डरे हुए थे और मिल के अन्दर बोल भी नहीं सकते थे।

फन्ड के अन्दर २ वर्ष पहले :

1. फन्ड के अन्दर पहले 6 माह का वेतन शादी के लिए दिया जाता था और 1 वर्ष में काटा जाता था।
2. पहले 3 माह का वेतन बिमारी के कारण से दिया जाता था और 1 वर्ष में काटा जाता था।
3. पहले कर्ज पूरा होने के 2 माह बाद ही मज़दूर भाई नया कर्ज ले सकते थे।
4. मकान के नाम एक वर्ष के वेतन का (परमानेंट) कर्ज पहले 25 वर्ष की नोकरी पूरी होने पर दिया जाता था।

दो वर्ष में हुए कार्य व सघर्ष पर एक नजर :

1. अब 12 माह का वेतन शादी के लिये दिया जाता है और 48 माह में काटा जाता है।
2. अब 6 माह का वेतन बिमारी के कारण से दिया जाता है और 24 माह में काटा जाता है।
3. अब 2 माह बाद की शर्त खत्म कर दी गई है और कर्ज समाप्त होते ही आप कर्ज ले सकते हैं।
4. अब 5 वर्ष की सर्विस वाला साथी भी 2 वर्ष का वेतन मकान बनाने के लिये बतोर कर्जले सकता है।
1. 25-12-79 को पहली बार श्री ललित नाकरा के नेतृत्व में बोनस व एरियर के मामले को लेकर श्र बी० आर० घई का घिराव किया।
2. श्री नौधलिगम ज को पच कारवाई में भाग लिया और आपको विजय कराई।
3. 29-10-80 को हाफ टाईम और सिगल पस पर ओवर टाईम को बन्द कराने का संघर्ष किया और जनरल मैनेजर श्री लक्षमण प्रसाद मित्तल का घिराव किया, इसी सघर्ष में श्री चतर सिंह व अन्य साथियों को बहुत चोट आई। इसी सघर्ष के कारण आपको यहां सिगल पैसे पर ओवर टाईम व हाफ टाईम मे काम बन्द हुआ।
4. 1-6-80 को फैक्ट्री मनेजर श्री ज्वाला प्रसाद का एरियर दिलवाने पर घिराव किया और मजदूर साथियों को एरियर दिलाया।
5. 19-2-81 को रग खाते की आटो मशीन का समझौता करवाया।
6. 17-2-81 को खजान सिंह का गेट बन्द करने पर श्री डा० एन० जाजु का घिराव किया और विजय प्राप्त की।
7. 22-3-82 को 9 सूत्री मांग पत्र को लेकर दुबारा श्री डी० एन० जाजु का घिराव किया।

श्री ललित नाकरा जी के नेतृत्व में मजदूर साथी पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी से नहीं दबता।

कपडा मिलों के बाहर भी ललित जी ने कई जगह बहुत बड़े - २ फैसले कराये हैं जो इस प्रकार है :—

1. ब्रितानिया कम्पनी में लग-भग 200 रु० प्रति माह वेतन में बढ़ोतरी कराई।
2. डी० सी० एम० डाटा परोडक्ट में 125 रु० प्रति माह की बढ़ोतरी कराई।
3. Thums-up के अन्दर 100 रु० से 120रु० प्रति माह अभी - २ बढ़ोतरी कराई।
4. डी० डी० टर्यस में 90 रु० प्रति माह की बढ़ोतरी कराई।

इन सबके अलावा ललित जी के नेतृत्व में दिल्ली का मजदुर संघर्ष कर रहा है।

अत आप सभी साथियों से जो लड़ाई आपने दो वर्ष पहले शुरू की उसे आगे बढ़ाने के लिये ललित जी के नेतृत्व में टैक्सटाइल मजदूर कांग्रेस के सभी साथियों को जिताये ॥

धन्यवाद।

निवेदक :

टैक्सटाईल मजदूर कांग्रेस (रजि०)

- युद्ध के खिलाफ !
- विश्व शान्ति के लिए !
- राष्ट्र की एकता अखण्डता व आजादी की सुरक्षा के लिए !
- फूटपरस्त ताकतों व साम्राज्यवादियों के कुचक्रों के विरुद्ध !
- राष्ट्र के विकाश, ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए

मजदूर वर्ग संघर्ष तेज करेगा

मई दिवस 1983 की घोषणा

जिन देशों मे पहले औद्योगिक पूंजीवाद शुरू हुआ वहां मजदूरों ने अपने जीवन स्तर के लिए और काम के घन्टे नियमित करने के लिए संघर्ष शुरू किया। आज १९८३ में यह बात अनहोनी सी लगती है कि इन पूंजीवादी देशों में मजदूरों को १६ और १८ घन्टा काम करना पड़ता था। आठ घन्टा काम की मांग से दुनियां के मजदूर-वर्ग के आन्दोलन की शुरूआत होती है। १८८६ में अमरीका के शहर शिकागो में मजदूरों ने आठ घन्टा काम के दिन के लिए प्रदर्शन किया तो मजदूरों के खून से होली खेली गई। इसके बाद दुनियां का मजदूर-वर्ग इन शहीदों की याद में मई-दिवस मनाता आ रहा है।

मई दिवस को मेहनतकश लोग अपनी कामयाबियों, कमियों और संघर्षों का लेखा-जोखा करते हैं और आगे के लिए एक होकर संघर्षों की योजना का एलान करते हैं।

१९८३ का वर्ष कार्ल मार्क्स की पुन्य तिथि के रूप मे दुनियां भर में मजदूर-वर्ग मना रहा है। कार्ल मार्क्स दुनियां के मजदूर वर्ग के एक महान चिन्तक व संगठन-कर्ता थे, जिन्होने पहली बार यह दरशाया कि अगली सदी मजदूर-वर्ग की होगी और मजदूर-वर्ग पूंजीवादी—सामन्ती शोषण को उखाड़ कर समाजवाद की स्थापना करेगा। दुनियां के मजदूरों एक हो जाओ यह विश्व के मजदूरों का सिंहनाद हैं। यह सिंहनाद कार्ल मार्क्स ने १८४८ में पास किए गये कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र के अन्त में अंकित किया था।

दुनियां व भारत के मजदूर-वर्ग ने पिछले पचास सालों में बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। काम के निश्चित घन्टे, नौकरी की सुरक्षा, इलाज की सुविधा, भविष्य निधि, पेन्शन, ग्रेचुटी, रिहाइश की सुविधा तथा अन्य छोटी बड़ी सहुलियतें आज मजदूरों को उपलब्ध है। यह सारे श्रमिक कानून व सुविधाएं भारत के मजदूर-वर्ग ने अपने कठिन व लम्बे संघर्षों में जीती है। इन संघर्षों में देश में सैकड़ों मजदूरों ने कुर्बानियां दीं। यह सारी सुविधाएं किसी पूंजीपति सरकार की मेहरबानी व दया से नहीं मिली। **मई दिवस को मजदूर-वर्ग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आगे के संघर्षों का एलान करता है।**

१९८३ का मई दिवस बड़ी गम्भीर स्थिति मे, देश का मजदूर-वर्ग मना रहा है। महंगाई व बेरोजगारी ने मजदूरों व आम जनता की कमर तोड़ दी है। ब्लैक मार्केटिये, जखीराबाज, थोक व्यापारी, बड़े जमीदार व बड़े पूंजीपति मौज मार रहे हैं। गरीब जनता शोषण, लूट-खसोट की चक्की में पिस रही है। पूंजीवादी व्यवस्था भारत के आर्थिक-विकास को आगे ले जाने में असमर्थ है इस लिए मजदूर वर्ग को न केवल अपनी रोजमर्रा की मांगों के लिए लडना है बल्कि देश के आर्थिक विकास व करोड़ों भूखे-नंगे भारतवासियों के कल्याण के लिए गैर पूंजीवादी रास्ते पर देश को चलाने के लिए कठोर संघर्ष करना है।

मई दिवस को मजदूर वर्ग देश में साम्प्रदायकतावादी, पृथकतावादी, जाति भेदवादी, क्षेत्रीयतावादी शक्तियों

के विरुद्ध लड़ने का संकल्प करेगा। यह शक्तियां मजदूर-वर्ग में फूट डालती है तथा स्वयं देश की एकता, अखंडता व आजादी के लिए खतरा बन गई है।

भारत व दुनियां का मजदूर वर्ग इस मई दिवस को विश्व में शांति की स्थापना के लिए एटमी हथियारों पर पाबन्दी लगाने की मांग करेगा। एटमी युद्ध का खतरा जितना आज है उतना पहले कभी नही था। अमरीका की रहनुमाई में साम्राज्यवादी देश दुनियां को ऐसी जंग में धकेलना चाहते हैं जिससे मानवता के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है।

१९१७ में महान अक्तूबर क्रान्ति की रूस में सफलता के बाद आज दुनियां के एक तिहाई हिस्से में मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण-उत्पीडन समाप्त हो चुका है और समाजवादी व्यवस्था कायम है। साम्राज्यी देशों के गुलाम देश आजाद हो चुके हैं और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के संकट से अमरीकी सम्राज्यवादी व उसके दमछल्ले समझ रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था का युग दुनिया में समाप्त हो चुका है इसलिए पागलपन में एटमी युद्ध में दुनियां को ही खतम करने की योजना बना रहे हैं।

निःसन्देह यह युग पूंजीवाद को घृणित वर्ग-भेद वाली व्यवस्था के अन्त का है। विश्व शान्ति की शक्तियां प्रबल है। समाजवादी देश, शक्तिशाली सोवियत देश जिनमें आगे-आगे है। नये आजाद मुल्क जिनमें हमारा भारत देश भी आगे-आगे है और स्वयं इन सम्राज्यवादी देशों का जन-गण विश्व शान्ति के लिए खड़ा है। साम्राज्यवादी मन्सूबों को ध्वस्त करेगा।

दिल्ली नगर निगम के मेहनतकशों ने हमेशा अन्य मजदूरों के साथ कदम से कदम मिलाकर मई दिवस मनाया है। आईये इस बार भी अपनी परम्परा को कायम रखें।

यूनियन के प्रोग्राम के मुताबिक साथी अपने काम के स्थानों तथा अपने घरों पर लाल झण्डा लहरायेंगे और निगम की ड्यूटी देने की भांति ठीक दस बजे रामलीला ग्राउन्ड पहुचेंगे जहां झण्डा सलामी के बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम बेल-कूद में भाग लेंगे और उसके पश्चात राजधानी के मेहनतकशों की संयुक्त रैली में शामिल होंगे।

विश्व शान्ति—जिन्दाबाद
मई दिवस—जिन्दाबाद
दुनियां के मजदूरों—एक हो
विश्व मजदूर संघ—जिन्दाबाद
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस—जिन्दाबाद
दिल्ली म्युनिसिपल वरकर्स यूनियन—जिन्दाबाद

जे० पी० खरे
जनरल सैक्रेटरी

दिल्ली म्युनिसिपल वरकर्स यूनियन (रजि०)

४/७, आसफ अली रोड, नई दिल्ली ११०००२
फोन २७७९४०

मुद्रक : प्रिंट क्राफ्ट्स, दूरभाष : ५७१५२४

9 विपक्षी पार्टियों का आह्वान

15 मार्च

भारत बंद-दिल्ली बंद

15 मार्च को देश में सभी प्रकार की गतिविधियां एक दिन के लिए रुक जायेंगी. किसान अपने खेतों में काम नहीं करेंगे, प्राईवेट व पब्लिक सैक्टर के मज़दूर कल कारख़ानों के चक्के जाम कर देंगे, बैंकों व बीमा निगमों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, अन्य कर्मचारी अपने दफ़्तरों में काम नहीं करेंगे, ट्रान्सपोर्ट का पहिया रुक जायेगा, सभी दुकानें तथा व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे, स्कूलों तथा कॉलेजों के ताले नहीं खुलेंगे. केवल बिजली, पानी, दूध, फ़ायर ब्रिगेड, हस्पतालों जैसी अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी काम काज ठप्प हो जायेंगे.

यह भारत बंद निकम्मी और भ्रष्ट राजीव सरकार की जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ जनता के आक्रोश एवं असंतोश का इज़हार करने तथा राजीव सरकार के इस्तीफ़े और मध्यावधि चुनाव की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है.

राजीव सरकार के तीन वर्ष के कुशासन से जनता का हर हिस्सा तंग आ चुका है. मंहगाई की मार से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. आर्थिक संकट का बोझ आम लोगों पर डालने की ग़रज़ से केंद्र सरकार ने बजट से पहले ही अनेक आवश्यक चीज़ों की क़ीमतें बढ़ा दीं. चीनी, खाने का तेल, कोयला, स्टील, पैट्रोल आदि के दामों में वृद्धि की मार से जनता सांस भी न ले पाई थी कि राजीव सरकार ने रेल किरायों और माल भाड़े में भारी वृद्धि कर के आम लोगों की जेबों पर एक और डाका डाला. इस से रोज़मर्रा के इस्तेमाल की सभी चीज़ें और भी महंगी हो जायेंगी. इतना ही नहीं डाक तार के मूल्यों में भी भारी वृद्धि कर दी गई.

आम बजट में 7484 करोड़ रुपये का घाटा छोड़ दिया गया है जिससे मुद्रास्फीति और भी बढ़ेगी. यह घाटा जनता से वसूल किया जायेगा. मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारियों तथा छोटे दुकानदारों व व्यापारियों की आशाओं पर इस बजट ने पानी फेर दिया है. बजट को कृषि और ग्रामोन्मुखी बताया गया है. लेकिन यह एक छल है.इस बजट से किसानों का फ़ायदा होना तो दूर, उन की समस्यायें और बढ़ जायेंगी.

दूसरी तरफ़ बड़े-बड़े उद्योगपतियों, इजारेदार घरानों और बड़े ज़मींदारों को अनेक रियायतें दी गई हैं. राजीव-शासन के दौरान इन वर्गों की संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है.

लेकिन इस सदी के सबसे भयंकर सूखे का पूरा बोझ देहातों में ग़रीब किसानों और खेत मज़दूरों पर डाला जा रहा है. न तो किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है और न ही खेत मज़दूरों को न्यूनतम वेतन.

औद्योगिक मज़दूरों को भी उचित न्यूनतम वेतन देने से लगातार इनकार किया जा रहा है. डेढ़ लाख से ज़्यादा कारख़ाने बंद हो चुके हैं. लगभग 10 करोड़ बेरोज़गार सड़कों पर भटक रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर-प्रेमी राजीव सरकार अत्याधुनिक तकनीक व ऑटोमेशन का आयात करके रोज़गार के रहे सहे दरवाज़े भी बंद कर रही है. बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नई-नई सहूलतें देकर देश की दौलत और श्रम लूटने की छूट दी जा रही है.

बेरोजगारी के इस आलम में छात्र-छात्राओं को अपना कोई भविष्य नज़र नहीं आता. शिक्षा पर ख़र्चा लगातार कम किया जा रहा है. राजीव सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करके देश के हर नागरिक को शिक्षा प्रदान करने के अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया है.

कमज़ोर तबकों, हरिजनों तथा महिलाओं पर अत्याचारों का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा. लोकतांत्रिक तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. हाल ही में, त्रिपूरा में चुनाव से ठीक तीन दिन पहले जिस तरह राजीव सरकार ने राज्य सरकार से विचार-विमर्श किए बिना 'अशांत क्षेत्र कानून' पूरे राज्य में लगा दिया और चुनाव से दो दिन पहले फ़ौज भेज कर उसका राजनैतिक इस्तेमाल किया तथा वोटों की गिनती में जो धांधली की, उससे चुनाव प्रक्रिया एक मज़ाक बनकर रह गयी है. कांग्रेस ने कम से कम 5 सीटों पर वोटों की गिनती में भारी धांधली करके अपना बहुमत बनाया है. यह जनता के अपनी पसंद की सरकार चुनने के अधिकार पर सीधा हमला है. इससे पहले राजीव सरकार ने दिल्ली में महानगर परिषद और नगर निगम की अवधि बढ़ाकर दिल्ली की जनता के अपनी पसंद के नुमाइंदे चुनने के अधिकार पर कुठाराघात किया और जनविरोधी कांग्रेसी प्रशासन जनता पर थोपे रखा. दूसरी तरफ़ प्रधानमंत्री ने यहां तक कहने का दु:साहस किया है कि वह जनता द्वारा विधिवत निर्वाचित 'राष्ट्र विरोधी' राज्य सरकारों को बर्ख़ास्त कर देंगे.

इस तरह संसदीय लोकतंत्र के लिए ही ख़तरा पैदा हो गया है. उच्च स्तर पर बढ़ा भ्रष्टाचार और उसी के क्रम में बोफ़ोर्स जैसे रक्षा सौदों में हुए घोटालों से पूरा देश हिल गया है.

पंजाब समस्या हल नहीं हो पाई है. वहां ख़ालिस्तानी आतंकवादी प्रतिदिन निर्दोष व्यक्तियों की हत्यायें कर रहे हैं. लेकिन राजीव सरकार पंजाब समस्या के राजनैतिक समाधान के प्रति ज़रा भी गंभीर नहीं है. उधर दार्जिलिंग में हिंसक आंदोलनकारियों को बढ़ावा दे रही है. हर तरह की सांप्रदायिक, विघटनकारी तथा आतंकवादी ताक़तें मज़बूत हुई हैं. **कुल मिलाकर केंद्र सरकार राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित किसी भी समस्या को हल करने में नाकाम रही है.**

उपरोक्त हालात में राजीव सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है. देश के हर हिस्से से राजीव सरकार के इस्तीफ़े और मध्यावधि चुनाव की मांग उठ रही है.

जनता की इसी मांग को लेकर वामपंथी, जनतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने 15 मार्च को **भारत बंद** का आह्वान किया है. हम दिल्ली वासियों से अपील करते हैं कि वे 15 मार्च को संपूर्ण हड़ताल करके—कल कारख़ाने, दुकानें, दफ़्तर आदि सभी कारोबार बंद करके—बाक़ी देश की जनता के स्वर में स्वर मिलाकर इस देश को राजीव सरकार के कुशासन से बचाने में योगदान करें.

वीरेश प्रताप चौधरी	**तारीफ़ सिंह**	**हरिराम खत्री, चन्द्र अमृत**
जनता पार्टी	लोकदल (अ)	जन मोर्चा
जगदीश गुप्ता	**एस. एल. शर्मा**	**सुशील भट्टाचार्य**
कांग्रेस (ज)	कांग्रेस (स)	आर. एस. पी.
विनोद जैन	**एम. एम. गोप**	**जोगेन्द्र शर्मा**
फ़ॉरवर्ड ब्लॉक	सी. पी. आइ.	सी. पी. आइ. (एम)

इन्कलाब जिन्दाबाद ! दुनिया के मजदूरों - एक हो ! सरमाएदारी-मुर्दाबाद !

मजदूर विरोधी सरकारी कपड़ा उद्योग नीति

मुर्दाबाद

मंगलवार ता० 15.9.87 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन !

साथियों,

लगभग दो वर्ष पूर्व भारत सरकार ने ***एटक*** समेत समूचे ट्रेड यूनियन आन्दोलन के विरोध की परवाह ना करते हुये अपनी तथा-कथित "नई कपड़ा उद्योग नीति" को मजदूरों पर लाद दिया। पिछले दो वर्षों की घटनाओं ने ***एटक तथा अ. भारतीय कपड़ा मिल मजदूर फेडरेशन*** के इस दावे को सिद्ध कर दिया है कि यह नीति लुटेरे कपड़ा उद्योगपतियों को मजदूरों का शोषण तेज करके अन्धे मुनाफे कमाने हेतू लागू की गई है।

इस घोर मजदूर तथा जनता विरोधी कपड़ा नीति के अब तक जो परिणाम निकले हैं उन का संक्षिप्त ब्यौरा यह है:--

१ स्वयं मिल मालिकों के कथनानुसार लगभग १२० कपड़ा मिल बंद हो चुकी हैं। तथा अन्य १०० मिलों को बंद करने की योजना बनाई जा रही है

२ व्यापक स्तर पर काम-भार बढ़ाने या नवीनीकरण करके मजदूरी की लागत में भारी कमी करने पर भी कपड़े के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप करोड़ों की सख्या में गरीब जनता अर्ध नग्न दशा में जीवन बिता रही है।

३ लाखों गरीब हाथ करघा बुनकरों को मिलों का सूत 'काला बाजार' दामों पर ही मिल पा रहा है। इस कारण वे अर्ध भुख-मरी का शिकार बन रहे हैं।

४ इस जनुपयोगी राष्ट्रीय उद्योग को मुनाफखोर मगर-मच्छ इजारेदारों के हाथों चौपट होने से बचाने के लिए इस का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने की जगह राजीव सरकार उल्टे उन मिलों को भी सर्मायादारों को सौंप रही है, या बन्द कर रही है जिनका मजदूरों ने आन्दोलनों के बल पर राष्ट्रीय-करण करवाया था।

सरकार तथा कपड़ा मिल उद्योगपतियों के इस घोर जनता तथा मजदूर-विरोधी षडयंत्र के शिकार सैकड़ों कपड़ा मिलों और लाखों मजदूरों की दुर्दशा के थोड़े से उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं :-

१ कपड़ा उद्योग के गढ़ बम्बई में लगभग ५५ मिलों में से एक तिहाई मिल या तो बिल्कुल बन्द पड़े हैं या आंशिक तौर पर चल रहे हैं। फलतः लगभग एक लाख मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं

२ पश्चिम बगाल (कलकत्ता) में इस समय ९ मिल बन्द पड़े हैं। इन में बिड़ला का विशाल "केसोराम कौटन मिल" भी शामिल है जो छः माह से ताला बदी करके लगभग ९००० मजदूरों को भूखा मारने पर उतारू है।

३ राजस्थान में व्यावर का कृष्णा मिल दो वर्ष से बन्द पड़ा है। तथा हरियाणा में डी. सी. एम के हिसार स्थित नवीन-तम कपड़ा मिल की तो मशीनें भी ठिकाने लगाई जा चुकी हैं।

४ कर्नाटक प्रदेश के कपड़ा मिल केन्द्र "देवण-गिरी में तीन बड़े कपडा मिल बन्द कर दिये गए हैं। इसी प्रदेश में मैसूर का "के. आर मिल" भी डेढ़ वर्ष से बन्द पड़ा है।

५ हमारे पड़ौसी उत्तर प्रदेश में दो सरकारी मिल (राय-बरेली टैक्सटाइल मिल तथा स्वदेशी कौटन मिल नैनी)सरासर नाजायज ताला बन्दी के शिकार बने हुय हैं। इसके अतिरिक्त हस्तिनापुर तथा मुरादाबाद स्थित दो प्राइवेट मिलों के साथ विशाल मोदी कौटन मिल भी बन्द पड़े हैं।

६ मध्य प्रदेश में इन्दौर-स्थित "होप टैक्सटाइल मिल" का मालिक सब कुछ हड़प कर मिल बन्द कर भागा है।

७ देश के कपड़ा उद्योग के तीसरे नम्बर के राज्य तमिलनाडु में इस समय १८ कपड़ा मिल' बन्द पड़े हैं। और राज्य भर के कपड़ा मिल मजदूर इन मिलों को चालू करवाकर लगभग २० हजार मजदूरों को रोजगार दिलवाने के लिए संघर्ष में जुटे हुए हैं।

८ बिहार राज्य के एकमात्र बड़े कपड़ा मिल 'गया कौटन एवं जूट मिल' को मिल मालिक द्वारा बन्द कर देने पर मज़दूरों के आंदोलनों के फलस्वरूप मिल का राष्ट्रीयकरण तो हुआ। लेकिन आज भी इस मिल के लगभग १२०० लूमों में से केवल ३५० लूम चालू हो सके हैं। लगभग २००० मजदूर रोजी से हाथ धोए पड़े हैं।

९ कपड़ा मिल उद्योग के दूसरे नम्बर के केन्द्र अहमदाबाद में भी कई मिलों के बन्द होने की नौबत आ चुकी है।

१० देहली में बिड़ला मिल के तीन हजार से ऊपर मजदूर बुनता तथा संबंधित खाते बन्द होने के फलस्वरूप दर-२ की ठोकरें खा रहे हैं। स्वयं सरकारी अजुध्या मिल में भी नौकर शाही भ्रष्टाचार तथा खुले कुप्रबन्ध के कारण मजदूरों को खतरा पैदा हो गया है।

देहली क्लाथ मिल के साढ़े पाँच हजार मजदूर उच्चस्तर पर भारत सरकार तथा डी०सी०एम कम्पनी के बीच सौदेबाजी से पैदा हुए पेचीदा हालात में लाखों बेकार मजदूरों की सी दुर्दशा से बचने के लिए कानूनी तथा अन्य स्तरों पर संघर्ष कर रहा है। एक ओर राजीव सरकार ने सन् १९८४ में गुप-चुप तरीके से कम्पनी को लिखित छूट दे दी थी कि वह इस मिल को हटा कर इस जमीन पर बहु-मंजिली इमारतें खड़ी कर ले। और इस आशय की कानूनी सहूलियत भी उपलब्ध करा दी। दूसरी ओर मजदूरों का झांसा दिया जा रहा है कि मिल को बन्द नहीं होने दिया जायेगा इस दोगली नीति के परिणाम-स्वरुप ही देहली हाई-कोर्ट ने मलिकों द्वारा डाली गई डी०डी०ए० के विरुद्ध अपील मंजूर कर ली। इसी कारण मिल के ५ हजार से ऊपर मजदूर (यानी लगभग ९९ प्रतिशत हाई कोर्ट में एक न्यायोचित फैसले की याचिका पेश करने पर विवश हुए। क्योंकि यह सभी को मालूम है कि देश में जहां भी मिल बन्द हुए हैं, वहां अधिकतर मजदूरों को एक पाई भी मुआवजा नहीं मिला, और हजारों मजदूर ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार उनका कमाया हुआ वेतन भी नहीं दिला पाई है।

पिछले ४ अगस्त को कई कपड़ा उद्योगों के केन्द्रों के मजदूर प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के कपड़ा उद्योग मंत्रालय पर समचे दिन का धरना दे कर सरकार की विनाशकारी कपड़ा उद्योग नीति के प्रति दस लाख कपड़ा मिल मजदूरों की ओर से कड़ा विरोध प्रकट किया था इन सभी प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया है कि ***मंगलवार दिनांक ११ सितम्बर*** १९८७ को देश भर में हर मिल गेट पर सरकार की ***कपड़ा उद्योग नीति का पुतला जला कर*** इसे दफन करने तथा सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीय करण करने की मांग राष्ट्रव्यापी स्तर पर उठाई जाय।

इजारेदारों की सम्पत्ति रहते हुए देश का कपड़ा उद्योग केवल मजदूरों और आम जनता के निरंकुश शोषण का साधन मात्र बना रहेगा। और सरकार की कपड़ा उद्योग नीति इस की जड़ है।

हम समूचे कपड़ा मजदूर समूह से अपील करते हैं कि वे आपसी मत- भेदों से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय अभियान में डट कर भाग लें। अपनी फौलादी जुझारू एकता के बल पर अपने वर्ग के शत्रुओं का षड़यन्त्र चकनाचूर करिये।

हम हैं आपके साथी :

मुँ. नारायण प्रसाद (संयुक्त मंत्री)

डी. एल. सचदेवा (संयुक्त मंत्री)

हरनाम सिंह (का. अध्यक्ष)

कपड़ा मजदूर एकता यूनियन

23 फरवरी

भारत बचाओ दिवस

संसद पर विराट प्रदर्शन

देश आज विनाश के कगार पर खड़ा है. देश की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो गई है. महंगाई, गरीबी, मुखमरी व बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है. लगभग 10 करोड़ बेरोजगार काम की तलाश में दर-दर भटकते भूखों मर रहे हैं. लेकिन कंप्यूटर-प्रेमी राजीव सरकार अत्याधुनिक तकनीक व आटोमेशन का आयात करके रोजगार के रहे-सहे दरवाजे भी बंद कर रही है. 1.5 लाख से ज्यादा कारखाने बंद हो गए हैं. बंद कारखानों के मजदूर-कर्मचारी भी बेरोजगारों की कतारों में शामिल हो रहे हैं. बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नयी-नयी सहूलियतें देकर देश का धन और श्रम लूटने की पूरी छूट दी जा रही है.

आर्थिक संकट का बोझ आम लोगों के कंधों पर डालने की गरज से, केंद्र सरकार ने बजट से पहले ही कई आवश्यक चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं. चीनी, खाने के तेल, कोयला, स्टील, पैट्रोल आदि के दामों में वृद्धि से आम आदमी का जीना दूभर हो गया है.

मजदूरों को उचित न्यूनतम वेतन देने से लगातार इन्कार किया जा रहा है

इस सदी के सबसे भयंकर सूखे का पूरा बोझ देहातों में गरीब किसानों और खेतमजदूरों पर डाला जा रहा है. न तो किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है और न खेतमजदूरों को न्यूनतम वेतन. इन हालात में देशभर के किसान और खेतमजदूर संघर्ष के रास्ते पर उतरने को मजबूर हुए हैं. मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारियों के जीवन स्तर में

भी भारी गिरावट आयी है. दूसरी तरफ उद्योगपतियों, मोनोपोली घरानों तथा बड़े-बड़े जमींदारों की संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है.

इन हालत में जनता के सभी मेहनतकश तबकों में जबर्दस्त असंतोष व गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है.

कमजोर तबकों हरिजनों तथा महिलाओं पर अत्याचारों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा. लोकतांत्रिक तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. हाल ही में, त्रिपुरा में चुनाव से ठीक तीन दिन पहले जिस तरह राजीव सरकार ने राज्य सरकार से विचार-विमर्श किए बिना 'अशांत क्षेत्र कानून' पूरे राज्य में लगा दिया और चुनाव से दो दिन पहले फौज भेज कर उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया तथा वोटों की गिनती में जो धांधली की, उससे चुनाव-प्रक्रिया एक मजाक बनकर रह गयी है कांग्रेस ने कम से कम 5 सीटों पर वोटों की गिनती में भारी धांधली करके अपना बहुमत बनाया है. यह जनता के अपनी पसंद की सरकार चुनने के अधिकार पर सीधा हमला है. इससे पहले राजीव सरकार ने दिल्ली में महानगर परिषद और नगर निगम की अवधि बढ़ाकर दिल्ली की जनता के अपनी पसंद के नुमाइंदे चुनने के अधिकार पर कुठाराघात किया था. और जनविरोधी कांग्रेसी प्रशासन जनता पर थोपे रखा गया. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने यहां तक कहने का दु:साहस किया है कि वह जनता द्वारा विधिवत निर्वाचित 'राष्ट्र विरोधी' राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देंगे.

इस तरह संसदीय लोकतंत्र के लिए ही खतरा पैदा हो गया है. उच्च स्तर पर बढ़ भ्रष्टाचार और उसी के क्रम में बोफोर्स जैसे रक्षा सौदों में हुए घोटालों से पूरा देश हिल गया है.

सांप्रदायिक सद्भाव पर खतरा मंडरा रहा है. राजीव सरकार की अवसरवादी नीतियों के चलते हर तरह की सांप्रदायिक, उग्रवादी, विघटनकारी तथा फूटपरस्त ताकतें मजबूत हुई हैं. कुल मिलाकर सरकार राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित किसी भी समस्या को हल कर पाने में नाकाम रही है.

राजीव सरकार ने जनता की आशाओं को झुठला दिया है. और वे स्वयं आज संदेह के घेरे में आ गए हैं. इसलिए शासन चलाने का जो जनादेश उन्हें मिला था, उसे वह खो चुके हैं. उन्हें सत्ता में बने रहने का अब कोई अधिकार नहीं रह गया है. देश के हर हिस्से से राजीव सरकार के इस्तीफे और मध्यावधि चुनाव की मांग उठी है.

जनता की इसी मांग को संगठित रूप देने के लिए वामपंथी, जनतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने 23 फरवरी को **भारत बचाओ** दिवस तथा 15 मार्च को **भारत बंद** का आह्वान किया है.

23 फरवरी को इन दलों की ओर से संसद पर एक विराट प्रदर्शन किया जाएगा प्रदर्शन और सभा दोपहर 12 बजे वोट क्लब पर होगी भारी संख्या में शामिल होकर कामयाब बनाएं.

जनता पार्टी
दिल्ली प्रदेश

लोकदल (अ)
दिल्ली प्रदेश

जन मोर्चा
दिल्ली प्रदेश

कांग्रेस (ज)
दिल्ली प्रदेश

आर. एस. पी.
दिल्ली प्रदेश

फारवर्ड ब्लाक
दिल्ली प्रदेश

सी पी आइ
दिल्ली प्रदेश

सी पी आइ (एम)
दिल्ली प्रदेश

दो साल में इतना पैसा नहीं बनता तो मुआवजा नहीं मिलेगा, धारा 31 ने इस शर्त को और भी स्पष्ट किया, धारा 31 (I) तथा 31 (II) में यह शर्त है कि भारत सरकार, उप-राज्यपाल, दिल्ली प्रशासन तथा डी०डी०ए० इस समझौते को मानें तथा डी०सी०एम० को जमीन विकास करने का पूरा अधिकार दें। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि मजदूरों के तथाकथित प्रतिनिधि यह कह रहे हैं कि :

हाँ यह सही बात है कि आर. एल. प्रदीप रिर्पोट में स्पष्ट है कि डी.सी.एम. व डी.डी.ए. तथा दिल्ली प्रशासन का जबरदस्त धोटाला है लेकिन इस धोटाले पर पर्दा डाल दो और कानूनों का उल्लंधन करके डी. सी. एम. मैनेजमेंट जो भी इजाजत चाहता है वो दे दो।

आज पूरे देश में जहाँ सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा उठ रहा है वहाँ ये यूनियनें सरकार से यह माग कर रहीं है कि भ्रष्टाचार पर आधारित समझौते पर केवल मोहर न लगाये बल्कि उसको आगे बढ़ाये। धारा 31 (3) में यह लिखा गया है कि 30 अप्रैल 1988 तक म्युनिसिपल कारपोरेशन तथा सम्बन्धित सरकारी संस्थान डी०सी०एम० को बिल्डिंग निर्माण की इजाजत दे दें। अगर इस तारीख तक फैसला नहीं हुआ तो मुआवजा रुक जाएगा मान लिजिए की धारा 31 (I) तथा 31 (II) पूरी की पूरी लागू हो जाए ओर मिल बन्द हो जाता फिर भी डी.सी.एम. मैनेजमेंट धारा 31 (3) में कोई भी बहाना जान-बूझकर खड़ा करके कह सकते हैं कि 30 अप्रैल तक हमें इजाजत नहीं मिली, इसलिए मुआवजा हम नहीं दे सकते। मिल बन्द हो गया, क्वाटर खाली हो गये, मजदूर बिखर गये - मालिकों का मंशा पूरा हो गया - तो कौन क्या करेगा? कहने का मतलब यह है कि मुआवजा देने को इतनी शर्तें लगा रखी हैं कि कोई गारन्टी नहीं है कि मुआवजा मिलेगा भी या नहीं। मजदूर जानते हैं कि हमारी यूनियन हर सच्चाई उनके सामने रखती हैं, मिल बंदी के बाद पैसा देने के मामले में धोखा किया जा सकता हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। यह जानते हुए की सारे देश में मजदूर इस समझौते का विरोध करेंगे बेशर्मी से इन यूनियनों ने लिखवाया है कि यह समझौता दूसरी मिलों के लिए मिशाल नहीं होगा। आजतक बम्बई, कलकत्ता, और कानपुर, में मिलमालिकों ने पूरी कोशिश की हैं कि मिलों को बन्द करके जमीन पर पैसा कमायें क्योंकि ज्यादातर मिलें शहरों के बीच में बहुत कीमती जगह पर बनी हुई है लेकिन उनको यह मजदूर विरोधी साजिश पूरी नहीं हुई क्योंकि मजदूरों ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन डी.सी.एम. मैनेजमेंट ने उनके सामने मिशाल पेश की है कि कानून को कैसे तोड़ा जाए और उस पर मजदूरों के तथाकथित नेताओं की मोहर भी कैसे लगवाई जाए, निश्चित रुप से समझौते के कारण पूरे देश तथा विशेषकर दिल्ली में मालिकों को पूरा बल मिलेगा।

आज कांग्रेस (इ) सरकार की मजदूर विरोधी नितियों के कारण मजदूर वर्ग में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में किसी मिल का क्लोजर मजदूर वर्ग के हितों को भारी नुकसान पहुँचाता है। सीटू हमेशा क्लोजर के खिलाफ ही लड़ी है। हाल ही में मई-दिवस 1987 के अवसर पर क्लोजर के खिलाफ आम प्रस्ताव में डी० सी० एम० क्लोजर के खिलाफ विशेष जिक्र था। इस मई-दिवस के प्रस्ताव में शपथ भी ली गई थी कि संघर्ष करेंगे, इस प्रस्ताव पर श्री बी. डी. जोशी के हस्ताक्षर हैं, उनके साथी स्वयं बताये कि इस बीच में जब प्रदीप रिर्पोट ने हमारे पक्ष को मजबूत किया है तो संघर्ष का रास्ता छोड़कर शपथ क्यों तोड़ी गई ओर मजदूरों के साथ धोखा क्यो किया गया।

साथियों,

आपसे अपील है कि उपरोक्त तथ्यों पर आप गम्भीरता से विचार करें तथा सीटू संबन्धित कपड़ा मजदूर लाल झण्डा यूनियन की निम्नलिखित मांगों का समर्थन करें :

1— आर० एल० प्रदीप रिर्पोट को केन्द्र सरकार प्रकाशित करें तथा सुप्रीम-कोर्ट तथा हाई कोर्ट मे पेश करें, सुप्रीम - कोर्ट में अपील करें।

2— समझौते को रद्द किया जाए तथा क्लोजर की इजाजत नहीं दी जाए। अगर मैनेजमेंट मिल को चलाने के लिए इंकार करता है तो स्वयं सरकार मिल को चलाये।

3— इस पूरे भ्रष्ट काड से संम्बन्धित दोषी लोगों के खिलाफ फौरन सख्त कार्यवाही की जाए।

कपड़ा मजदूर लाल झण्डा यूनियन (सीटू)

बृजभूषण तिवारी (प्रधान) **इन्द्रपाल** (महामंत्री)

डी० सी० एम० क्लोजर सम्बन्धी समझौते का विरोध क्यों ?

साथियो,

साट-सम्बन्धित कपड़ा मजदूर लाल झण्डा यूनियन ने 28-7-87 के डी० सी०एम० क्लोजर सम्बन्धित समझौते का विरोध किया है। इस संम्बन्ध में यूनियन ने दिल्ली हाई-कोर्ट में दिनांक 3 अगस्त को अपना विरोध भी प्रकट किया। इससे बौखलाकर कुछ स्वार्थी तत्वों ने यूनियन के सैद्धान्तिक विरोध का जवाब न देकर मजदूरों मे सरासर झूठा प्रचार किया है कि यूनियन ने हाई-कोर्ट में मजदूरों का हस्ताक्षर जाली बताया। इस प्रचार से यह तथाकथित नेता अपने काले कारनामों को छिपाना चाहते है। साट का यह मानना है कि इस क्लोजर के पीछे करोड़ों रुपयों का घोटाला है जिसमें शासक पार्टी व अन्य नेता डी० डी० ए० तथा दिल्ली प्रशासन के अधिकारी भी शामिल है, तथा कुछ मजदूर संगठनों पर भी प्रश्न-चिन्ह लग गया है।

1— हकीकत क्या है ?

डी.सी.एम. मैनेजमेंट ने 1-7-85 को मिल बन्द करने का नोटिस दिया था जिसे दो साल से मिल इसलिए बन्द नहीं हुआ क्योंकि तमाम मजदूर और उनके संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया तथा इसके खिलाफ कानूनी तथा आम संघर्ष किया 1986 की 102 दिन की हड़ताल का एक मुद्दा यह भी था कि डी.सी.एम. का क्लोजर रोका जाए। लेकिन अचानक सितम्बर, अक्टूबर 86 मे हाई-कोर्ट की सुनवाई के दौरान बगैर किसी बहस या फैसले के श्री राममूर्ति ने जो यूनियनों की ओर से वकील थे, मैनेजमेंट द्वारा मुआवजा का बातचीत के सुझाव को मान लिया। उस समय के बाद से कुछ यूनियनें, मुख्यतः एकता यूनियन ने यह प्रचार किया कि अब क्लोजर नहीं रोका जा सकता, इसलिये मुआवजें को तय करके समझौता करना चाहिए। इस तरह मजदूरों को संघर्ष के रास्ते मे हटाकर निःशस्त्र कर दिया। कोई चारा न देखकर मजदूरो ने क्लोजर फार्म पर हस्ताक्षर कर दिये।

इसके लिए हम मजदूरों को कतई दोषी नहीं ठहराते बल्कि उन नेताओं को दोषी और बोगस ठहराते हैं जिन्होंने यह परिस्थिति पैदा की हैं।

2— समझौते के धाराएं 16, 17, तथा 31 के वारे में :

समझौते के धारा 16 में यह माना गया है कि दिल्ली विकास योजना 1947 तथा दिल्ली मास्टर प्लान को देखते हुए डी०सी०एम० का क्लोजर अपरिहार्य (जो नहीं रोका जा सकता) है। इसी समझ पर पूरा समझौता आधारित है, लेकिन यह समझ सरासर झूठी, बेबुनियाद तथा मैनेजमेंट पक्ष की समझ है। 1985 में जब डी०सी०एम० क्लोजर के संम्बन्ध मे मामला संसद में उठा तो सरकार को एक जाच कमेटी बनानी पड़ी। करीब एक साल से रिपोर्ट तैयार है, लेकिन जान-बूझकर रिपोर्ट को सरकार दबा रही है। आर० एल० प्रदीप जाच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मे मास्टर प्लान के बारे में 11 पृष्ठों में साफ-साफ स्पष्ट शब्दों मे साबित कर दिया है कि डी० डी० ए० तथा दिल्ली प्रशासन ने मास्टर प्लान और सम्बन्धित कानूनों का खुले आम उलंधन किया है। इस रिपोर्ट के बाद मजबूरी में डी०डी०ए० ने डी०सी०एम० को जमीन बिक्री करने की इजाजत वापस ले ली। लेकिन अपनी खोट निश्चित छिपाने के लिये डी०डी०ए० ने हाई-कोर्ट में आर. एल. प्रदीप रिपोर्ट को जान-बूझकर पेश नहीं किया बलकि बेशर्मी से कोर्ट मे अपनी इजाजत वापस लेने की बात को टाल-माल रखा ताकि मैनेजमेंट का पक्ष मजबूत रहे जिसके कारण हाई-कोर्ट ने मैनेजमेंट की अपील को मान लिया। इस साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए यह जरूरी था कि तमाम संगठन यह दबाव देते कि इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम-कोर्ट में अपील करें तथा सुप्रीम-कोर्ट मे जाच कमेटी की रिपोर्ट पेश करे।

लेकिन बड़े खेद की बात है कि इसके विपरीत धारा 16 में मैनेजमेंट द्वारा दी गयी तमाम दलीलों को माना गया है। तथा डी०डी०ए० दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्र सरकार की भ्रष्ट नीति पर मोहर लगा दी गई है। इसी तरह आर. एल. प्रदीप ने स्पष्ट शब्दों हैं कहा कि डी०सी०एम० को इजाजत देकर दिल्ली प्रशासन 'अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट' (शहरी भूमि सीमा निर्धारण कानून) का खुले-आम उलधन किया है। रिपोर्ट मे कहा गया है कि इनको यह इजाजत नहीं देनी चाहिए थी।

इस सरकारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि समझौते की धारा 16 गलत है **डी.सी.एम. का क्लोजर कतई अपरिहार्य नहीं है, जो दलील दी गयी है, वो गलत है, और इसके पीछे करोड़ो रुपये का घोटाला है।** लेकिन सबसे खतरनाक बात इस समझोते की धारा 17 तथा धारा 31 में है। धारा 17 के अन्तर्गत यूनियनों ने यह बात मान ली की 72 महीने का मुआवजा केवल उस पैसे से दिया जाएगा जो पैसा 63 एकड़ जमीन के विकास से डी०सी०एम० मैनेजमेंट को मिलेगा। इसका मतलब अगर

क्र० पृ० उ०